



कार्यालय अधिशासी अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड लोक निर्माण विभाग,
कर्णप्रयाग

Phone/Fax :- 01363-244204

E-mail :- eepdpwdkpg@gmail.com

पत्रांक : 2318/10 (म-प्र)
सेवा में,

दिनांक :- 12/07/2017

प्रभागीय वनाधिकारी
बद्रीनाथ वनप्रभाग
गोपेश्वर, (चमोली)

विषय :- घाट-रामणी मोटर मार्ग के ग्राम कुरुड़ से कण्ड बगड़ तक मोटर मार्ग निर्माण में भारत सरकार द्वारा लगाई गयी आपत्तियों के निराकरण के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ :- EDS दिनांक 22.07.2017।

महोदय,

उपरोक्त विषय के अनुपालन में भारत सरकार द्वारा लगायी गयी आपत्तियों का निराकरण किया गया जो निम्न प्रकार है :-

क्र. सं.	लगायी गयी आपत्तियाँ	आपत्तियों का निराकरण
1	2	3
1	The hard copy of the proposal containing original documents is not yet received in this office. The State Govt may provide original hard copy of the proposal to this office including authenticated copy of Part I to Part V as in online web portal.	प्रस्ताव की मूल हार्ड कॉपी पूर्व में इस कार्यालय के पत्रांक 1309/10 एल.ए. दिनांक 28.04.2016 द्वारा नोडल अधिकारी, देहरादून को प्रेषित की गयी थी। पुनः मूल हार्ड कॉपी एवं पार्ट-I की हार्ड कॉपी इस कार्यालय के पत्रांक 9186/10 एल.ए. दिनांक 04.08.2017 द्वारा नोडल अधिकारी, देहरादून को प्रेषित कर दी गयी है (छायाप्रति संलग्न) तथा पार्ट-II एवं पार्ट-III की मूल हार्ड कॉपी संलग्न कर आपको प्रेषित की जा रही है। पार्ट-IV की मूल हार्ड कॉपी नोडल स्तर से एवं पार्ट-V की मूल हार्ड कॉपी राज्य सरकार स्तर से उपलब्ध करायी जानी है।

अतः उपरोक्त आपत्तियों का निराकरण कर सूचनार्थ प्रेषित।

संलग्न :- उपरोक्तानुसार समस्त प्रपत्र।

अधिशासी अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड लो.नि.वि.
कर्णप्रयाग



कार्यालय अधिशासी अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड लोक निर्माण विभाग
कर्णप्रयाग

Phone/Fax :- 01363-244204

E-mail :- eepdpwdkpg@gmail.com

पत्रांक 9186 / 10एल.ए.

दिनांक 4/8/2017

सेवा में,

अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी,
वन संरक्षण, इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी,
उत्तराखण्ड देहरादून।

विषय :- कुरुड़ से कुण्डबगड मोटर मार्ग निर्माण हेतु 0.810 हे. वन भूमि का लोक निर्माण विभाग को हस्तान्तरण के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ:- भारत सरकार द्वारा EDS पत्र संख्या FP/UK/Road/18867/2016 दिनांक 21.07.2017।

महोदय,

उक्त सन्दर्भित पत्र के क्रम में अनुरोध करना है, कि भारत सरकार द्वारा विषयगत मार्ग वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव में आपति लगायी गई, कि प्रस्तावित वन भूमि की मूल प्रति दी जाय, जिसे अन्य मूल प्रपत्रों एवं मानचित्रों के साथ संलग्न कर अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रेषित किया जा रहा है।

संलग्न:- प्रस्ताव मूल में एक नं.।

पाठक
4-8-2017
कार्यालय
अधिकारी एवं मुख्य वन संरक्षक
वन संरक्षण निदेशालय (वन विभाग)
उत्तराखण्ड, देहरादून

4/8/17
अधिशासी अभियन्ता,
प्रान्तीय खण्ड लो0नि0वि0,
कर्णप्रयाग।
4/8/17

SITE INSPECTION REPORT

NOT BELOW THE RANK OF DCF

(For the forest land to be diverted under FCA 1980)

1. A proposal has been received by this Office from the E.E PWD Karanprayag District-chamoli (Uttarakhand) for diversion (under FCA 1980) of 0.810 Hectare of forest land for non-forestry purpose. The project envisages the use of forest land for the **Construction of Kurur to Kundbagar Motor Road**. The Site Inspection of the land involved in the proposal has been done by me on date **08-07**-2017.
2. On inspection of the site, it is found that the land required by the User Agency is a Forest area measuring 0.810 Hectare.
3. The requirement of Forest Land as proposed by the User Agency in Column no-2 of Part-1 is unavoidable and is barest minimum required for the project. – yes
4. There are no rare/endangered/unique Species of Flora and Fauna found in the area.-No
5. There are no Archaeological/heritage site/defined establishment or any other important Monument located in the area.- No
6. The User Agency has not violated the provision of Forest Conservation Act, 1980 and no work has been started without proper sanction.

Recommended for acceptance of the proposal for diversion of 0.810, Hectare of forest land for non-forestry purpose i.e., for "**Construction of Kurur to Kundbagar Motor Road**".

Recommended in public interest.

Place- Gopeshwar

Date-**08-07**-2017

(Signature)

Name- N.N.Pandey

Designation- **प्रमाणित वन अधिकारी**

Office Seal- **प्रमाणित वन प्रवाल नमिपक**

(कोरी)

प्रपत्र-2.1

भाग- II

(सम्बन्धित उप वन संरक्षक द्वारा भरा जाना है)

प्रस्ताव की राज्य कम संख्या.....

7. परियोजना/स्कीम का स्थान *Construction of Kurur to Kurabagan Motor Road*

- i) राज्य/संघ शासित क्षेत्र - *उत्तराखण्ड*
- ii) जिला - *चमोली*
- iii) वन प्रभाग - *बकीनाथ वन प्रभाग, गौपेश्वर,*
- iv) वनेत्तर प्रयोग के लिए प्रस्तावित वन भूमि का क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) - *0.810 Ha*
- v) वन की कानूनी स्थिति - *सिविल*
- vi) हरियाली का घनत्व - *0.2 ECO CLASS-V (Open Forest)*
- vii) प्रजातिवार (वैज्ञानिक नाम) और परिधि श्रेणीवार वृक्षों की परिगणना (संलग्न की जाए)। सिवाई/जलीय परियोजनाओं के सम्बन्ध में एफ0आर0एल0 - 8 भी0 पर परिगणना भी संलग्न किए जाए - *पुस्ताव में संलग्न*
- viii) भूक्षरण के लिए वन क्षेत्र की संवेदनशीलता पर संक्षिप्त टिप्पणी। - *पुस्ताव में संलग्न*
- ix) वनेत्तर प्रयोग के लिए प्रस्तावित स्थल की वन की सीमा से अनुमानित दूरी -
- x) क्या फार्म राष्ट्रीय उद्यान, वन्य जीव अभयारण्य जैवमण्डल रिजर्व, बाघ रिजर्व, हाथी कारीडोर आदि का भाग है (यदि हां, क्षेत्र का ब्यौरा और प्रमुख वन्य जीव वार्डन की टिप्पणीयों अनुबन्धित की जाए) - *नहीं*
- xi) क्या क्षेत्र में वनस्पति और प्राणिजात की दुर्लभ/संकटापन्न/विशिष्ट प्रजातियाँ पाई जाती है यदि हां/तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा दें। - *नहीं*
- xii) क्या कोई सुरक्षित पुरातत्वीय/पारम्परिक स्थल/रक्षा प्रतिष्ठान और कोई अन्य महत्वपूर्ण स्मारक क्षेत्र में स्थित है, यदि हाँ तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा सक्षम प्राधिकरण से अनापत्ति प्रमाण पत्र के साथ यदि अपेक्षित हो, या - *नहीं*

8. प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा भाग-1 कालम 2 में प्रस्तावित वन भूमि आवश्यकता परियोजना के लिए अपरिहार्य और न्यूनतम है। यदि नहीं, तो जांचे गए विकल्पों के ब्यौरों के साथ मदवार संस्तुत क्षेत्र क्या है। - *प्रस्तावित वन भूमि न्यूनतम है।*
9. क्या अधिनियम के उल्लंघन में कोई कार्य किया गया है (हाँ/नहीं) यदि हाँ, तो कार्य की अवधि, दोषी अधिकारियों पर की गयी कार्यवाही सहित कार्य का ब्यौरा दें तथा उल्लंघन सम्बन्धी कार्य अभी भी वह रहे हैं। - *नहीं*

10— प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम का ब्यौरा:—

- i. प्रतिपूरक वनीकरण के लिए अभिनिर्धारित वनेत्तर क्षेत्र/अवकमित वन क्षेत्र, आस-पास के वन क्षेत्र से इसकी दूरी, भू-खण्डों की संख्या, प्रत्येक भू-खण्डों की संख्या, प्रत्येक भू-खण्ड का आकार।
- ii. प्रतिपूरक वनीकरण के लिए अभिनिर्धारित वनेत्तर क्षेत्र/अवकमित वन क्षेत्र, आस-पास की वन सीमाओं को दर्शाता मैप।
- iii. रोपित की जाने वाली प्रजातियों सहित प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम के विवरण, कार्यान्वयन एजेंसी, समय अनुसूची लागत ढांचा आदि।
- iv. प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम के लिए कुल वित्तीय परिय्यय।
- v. प्रतिपूरक वनीकरण के लिए अभिनिर्धारित क्षेत्र की उपयुक्तता के बारे में और प्रबन्धकीय दृष्टिकोण से सक्षम प्राधिकरण से प्रमाण-पत्र (सम्बन्धित उप वन संरक्षक द्वारा हस्ताक्षरित किया जाए)।

- बालक गीत

- ਨਾਹਕ ਨਹੀਂ

- रिचर पद लघुनाम पर दृष्टांतों पर

1. संलग्न

- लागू नहीं

11- जिला वन संरक्षक की स्थल निरीक्षण रिपोर्ट विशेषतः उपर्युक्त कालम 7 (xi, xii) 8 और 9 में पूछे गये तथ्यों को दर्शाते हुए (संलग्न करें)

- संलग्न

12— प्रभाग/जिला प्रोफाइल

जिला का भौगोलिक क्षेत्र।

— 803000 ha

i. जिला का वन क्षेत्र।

- ~~514792~~ 514792 ha

ii. मामलों की संख्या सहित 1980 से

वनेत्तार प्रयोग में लाया गया कुल क्षेत्र।

- 218 मामले, 826.453 ha

iii. 1980 से जिला/प्रभाग में निर्धारित कुल

प्रतिकूल वनीकरण

(क) दण्ड के रूप में प्रतिपूरक वनीकरण सहित वन भूमि

- ਲਾਹੌਰ ਨਦੀ

(ख) वनेत्तर भूमि पर

30/06/2017 तक प्रतिपूरक वनीकरण
में हथी प्रगति

(क) वन भूमि पर 462.94 ha

(ख) वनेत्तर भूमि पर **497.57ha**

13- प्रस्ताव को स्वीकृत करने अथवा प्रस्ताव अन्यथा लेने के सम्बन्ध में उप वन संरक्षक की विशेष सिफारिश।

- जमाईट में संस्कृति की जाती है.

दिनांक 01/07/2017

स्थान गोपेश्वर

हस्ताक्षर

नाम

सरकारी मोहर

(सम्बन्धित वन संरक्षक द्वारा भरा जाना)

Proposal No.FP/UK/ROAD/18867/2016

परियोजना का नाम— जनपद चमोली के विकासखण्ड घाट में घाटी-रामणी मोटर मार्ग के ग्राम कुरुड से कुण्डबगड तक मोटर मार्ग का निर्माण कार्य।

1.	स्थल जहाँ की वन भूमि शामिल की गई है। क्या इसका सम्बन्धित वन संरक्षक ने निरीक्षण किया है? (हाँ/नहीं) यदि हाँ तो निरीक्षण की तारीख और किए गये प्रेक्षणों को निरीक्षण नोट के रूप में संलग्न करें।	नहीं।
2.	क्या सम्बन्धित वन संरक्षक भाग-ख में दी गई सूचना और उप वन संरक्षक के सुझावों से सहमत है?	सहमत, परियोजना क्षेत्र के अन्तर्गत उत्तीस प्रजाति के कुल 8 वृक्ष प्रभावित हो रहे हैं।
3.	प्रस्ताव की स्वीकृति या अन्यथा के बारे में सम्बन्धित वन संरक्षक की विस्तृत कारणों के साथ विशेष सिफारिशें।	जिनसे में संस्कृति की जाती है।

दिनांक 20-7-2017

स्थान पंडी

हस्ताक्षर.....

नाम

(जी. के. रस्तोगी)

वन संरक्षक

गढ़वाल वृक्ष

उत्तराखण्ड वन